मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 25, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 72 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 15 जुलाई, 2004 को वाणिज्यिक कर उपायुक्त की लोक आयुक्त विशेष स्थापना पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की श्री सत्यदेव कटारे, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री रामनिवास रावत, श्री आरिफ अकील, डॉ. सुनीलम्, श्री रामलखन शर्मा तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से श्री रामनिवास रावत, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने से अध्यक्ष महोदय द्वारा उसे पढ़ा गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन पक्ष की सहमति होने पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर आज सायं 4.30 बजे से चर्चा शुरू किये जाने का समय निर्धारित किया गया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कांग्रेस के लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश में वर्षों से चल रहे महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त की जाने.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भोपाल के नार्थ टी.टी. नगर के शासकीय आवासों की सीवेज लाईन खराब होने.

(3) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहुला में विज्ञान संकाय की मान्यता समाप्त की जाने.

(4) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर के ग्रामों में जल स्तर गिरने से नल-जल योजना का क्रियान्वयन न होने एवं हैंडपंप के संधारण की व्यवस्था ठीक न होने, तथा

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले में छोटे छोटे दुकानदारों को अतिक्रमण के कारण विस्थापित किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2003) पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र तिवारी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को खाद, बीज उपलब्ध नहीं कराने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, निशिथ पटेल, के.पी. सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में चुनाव के दौरान हुई हत्याओं के अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने -

(क) बदेरा-बिहरा-टीकर-भदई मार्ग की स्वीकृति दिलाये जाने,

(ख) जजनार नदी से धर्मपुरा नाद गंजरिया तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) भदनपुर-बराखुर्द मार्ग की स्वीकृति दिलाये जाने,

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल शहर के बाग मुगालिया कालोनी एवं कटारा हिल्स के मध्य पुलिस चौकी स्थापित किये जाने;

(3) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मंडला जिले में बकोरी नाला पर पुल बनाये जाने ; तथा

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम गुढ़ा को चम्बल नदी के कटान से बचाये जाने,
संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

7. वर्ष 2004-2005 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -12	ऊर्जा के लिए तीन हजार एक सौ सतानवे करोड़, पच्चीस लाख, सैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए एक करोड़, अस्सी लाख, तेईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -65	विमानन के लिए दो करोड़, तेईस लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सत्तावन लाख, सतासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या -71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) के लिए बत्तीस लाख, इक्यावन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -93	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए नवासी करोड़, इक्यासी लाख, छियासठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 12	5,6,7,8,11,12,13,15
मांग संख्या - 46	1,2
मांग संख्या - 65	1
मांग संख्या - 71	1,2
मांग संख्या - 93	3

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने अपना भाषण प्रारम्भ किया।

(भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति द्वारा एकत्रित धन राशि को निर्माण कार्यों पर प्रतिबंधित कर केवल दवाईयों पर ही खर्च की जावे." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लालसिंह आर्य
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) डॉ. सुनीलम्
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(7) श्री कमल पटेल
(8) श्री गिरीश गौतम

(9) श्री शंकर लाल तिवारी

(10) श्री नारायण त्रिपाठी

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, अजय विश्नोई, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि शासन प्रदेश में विद्यालयों, अस्पतालों, कब्रिस्तानों, श्मशानघाटों, शासकीय संस्थाओं तथा चरनोई भूमि, छोटे व बड़े कांस की वन भूमि एवं गोठान की भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराकर नागरिकों को सार्वजनिक उपयोग के लिये उपलब्ध कराये तथा यह सुनिश्चित करे कि ऐसी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण त्रिपाठी

(2) श्री अजय विश्नोई

(3) श्री रामनिवास रावत

(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(7) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव

(8) श्री कमल पटेल

(9) डॉ. सुनीलम्

(10) श्री उमाशंकर गुप्ता

(11) श्री गोविंद सिंह पटेल

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि शासन किसानों की गंभीर समस्याओं जैसे पटवारी से खाते की नकल लेने, सीमांकन कराने हेतु कठोर रूख अपनायें तथा नकल, सीमांकन व अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करे." तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

10. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

दिनांक 15 जुलाई, 2004 को वाणिज्यिक कर उपायुक्त की लोक आयुक्त विशेष स्थापना पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराई गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री सत्यदेव कटारे
(3) श्री नारायण त्रिपाठी
(4) श्री आरिफ अकील
(5) डॉ. सुनीलम्
(6) श्री उमाशंकर गुप्ता
(7) श्री रामलखन शर्मा
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य बहुजन समाज पार्टी द्वारा शासन की ओर से मुख्य आरोपी को बचाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री द्वारा भी चर्चा का उत्तर दिया गया एवं प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की गई)

(श्री आरिफ अकील तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यों द्वारा धारा 302 के अंदर प्रकरण दर्ज न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

11. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि रविवार, दिनांक 18 जुलाई, 2004 को प्रातः 10.30 बजे विधानसभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार" में माननीय सदस्यों को बजट एवं बजटीय प्रक्रिया की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शासन के विशेषज्ञ अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

सभी माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित हो कर प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें।

5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 28, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.